संख्या– 108 /VI-I/2009– 7(3)/2008

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक :- 30 नवम्बर, 2009

विषयः– खेल संघो/कीड़ा समितियों/क्लबों को खेल प्रतियोगिता आयोजन एवं कीड़ा उपस्कर कय हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र सं0–4308/वि.यो.प./2002–03/दे0दून दि0–17–1–09 एवं पत्र सं0–1608/वि.यो.प./2009–10/दे0दून दि0–22–8–09 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, प्रदेश में कीड़ा एवं उसके प्रशिक्षण तथा संरक्षण के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति/संस्था का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त होता है। सरकार की यह नीति है कि, प्रदेश में खेलों के संरक्षण एवं विकास के कार्य में लगे खेल संघों, समूहों तथा खेल समितियों को यथा सम्भव सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाय। प्रदेश में खेलों के संरक्षण एवं विकास के कार्य में लगे खेल संघों, समूहों तथा खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन व कीड़ा उपस्कर कय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) निदेशक, खेल द्वारा प्रदेश में खेलों के आयोजन व संरक्षण व विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं प्रदेश में एक सुविचारित खेल गतिविधि कलैन्डर" विकसित किया जायेगा तथा "खेल आयोजन हेतु पूर्वानुमति पर विचार किया जायेगा। इसमें यह भी ध्यान रखा जायेगा कि प्रदेश के समस्त जनपदों को पर्याप्त अवसर मिल सके। जो आयोजन सरकारी सहायता से किया जाना प्रस्तावित हो उसके लिए निदेशक, खेल की लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। खेल आयोजनों के सम्बंध में प्रस्ताव, यथा सम्भव, जिलाधिकारी/संबंधित जिला कीड़ा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, खेल उत्तराखण्ड को भेजे जाने चाहिए। निदेशक खेल द्वारा दी जाने वाली लिखित अनुमति में अनुमानित व्यय का भी उल्लेख किया जायेगा। लिखित अनुमति में इंगित अनुमानित व्यय की सीमा में ही आयोजन कराया जाना चाहिए। किसी भी दशा में पूर्व–सहमत राशि से अधिक अनुदान देय नहीं होगा। केवल मान्यता प्राप्त खेल संघों को ही अनुदान प्रदान किया जायेगा, उन्ही प्रादेशीय कीड़ा संघों को अनुदान प्रदान किया जायेगा जो भारतीय खेल ओलम्पिक एसोसियेशन अथवा सम्बन्धित भारतीय खेल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त होगें। जिला स्तरीय कीड़ा संघ तभी अनुदान के पात्र होगें जब वे प्रादेशीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त हो। कीड़ा क्लब एवं समितियां तभी अनुदान हेतु पात्र होगी, जबकि वे सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होगें। अनुदान तभी स्वीकृत किया

जायेगा। जब निदेशक खेल की संस्तुति प्राप्त हो एवं सम्बन्धित संस्था का आडिट एकाउण्ट तथा नियमित एवं निर्विवादित निर्वाचन का प्रमाण उपलब्ध हो ।

(2) व्यक्तिगत तौर पर किसी खिलाड़ी को अनुदान दिये जाने हेतु उसका खेल निदेशालय में पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा सर्वे भी कराया जायेगा, तथा संख्या के स्थान पर गुणवत्ता एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए पंजीकरण का कार्य किया जायेगा, इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जायेंगे।

(3) खेल निदेशालय में पंजीकृत/चयनित खेल संघों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान हेतु आवश्यकतानुसार रोस्टर तैयार किया जायेगा जिसे सभी खेल संघों को समान अवसर प्राप्त हो सके, परन्तु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा राज्य की मान्यता प्राप्त खेल ईकाई को आयोजन हेतु दी गयी राष्ट्रीय/जोनल चैम्पियनशिप एवं राज्य के अन्तर्गत, राज्य गठन के पूर्व से नियमित रूप से आयोजित हो रही ख्याति प्राप्त अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता को अनुदान हेतु शासन की अनुमति के उपरान्त रोस्टर में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(4) खेल संघों/गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं यथा संभव आयोजन के समय ही अथवा विलम्बतम एक माह के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा।

(5) खेलों के आयोजन के लिए खेल की प्रकृति, खिलाड़ियों की संख्या, खेल उपकरण एवं धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत खेलों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा :–

'क' श्रेणी

1. एथलेटिक्स
2. बाक्सिंग
3. बैडमिन्टन
4. क्रिकेट
5. शूटिंग
6. लानटेनिस
7. फुटबाल
8. हॉकी
9. जिम्नास्टिक

'ख' श्रेणी

1. बास्केटबाल
2. बालीबाल
3. हैंडबाल
4. ताइक्वान्डो
5. जूडो
6. तीरंदाजी
7. तैराकी
8. अन्य खेल

उपरोक्त श्रेणियों में दिये जाने वाली अनुदान की राशि एवं उसकी अधिकतम सीमा (Upper ceiling) निम्नानुसार होगी :–

प्रतियोगिता	खेलों की श्रेणी	अनुदान की राशि (लाख रूपये में)
राष्ट्रीय प्रतियोगिता	'क'	3.00
	'ख'	2.00
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	'क'	1.50
	'ख'	1.00
जनपदीय स्तरीय प्रतियोगिता	'क'	.50
	'ख'	.30

उपरोक्त श्रेणी प्रतिवर्ष पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तित होगी।

विशेष परिस्थितियों में कारण व औचित्य स्पष्ट करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक राशि के प्रस्ताव पर शासन के अनुमोदनोपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जाय।

(6) खेल संघों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में उनकी पिछली प्रदर्शन को आधार बनाते हुए निर्णय लिया जायेगा।

(7) खेल संघों को अनुदान प्रदान किए जाने हेतु रोस्टर बनाया जायेगा, तथा जिसमें पिछले वर्ष अनुदान प्राप्त संघों को चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा रोस्टर के अनुसार दूसरे खेल संघों को अनुदान प्रदान किए जाने पर विचार किया जायेगा।

(8) प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान प्रदान किए जाने विषयक संगत योजना में प्राविधानित धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु एवं 30:30 प्रतिशत की धनराशि क्रमशः राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु मात्राकृत की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में उक्त मात्रा में परिवर्तन पर कारण एवं औचित्य स्पष्ट करते हुए परिवर्तन हेतु शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी।

(9) मान्यता प्राप्त खेल संघों/क्रीड़ा समितियों/खिलाड़ियों को खेल किट एवं क्रीडा उपस्कर क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा, किन्तु एक बार अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त दो साल तक कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जायेगा।

अनुदान हेतु आवेदन करते समय सामग्रियों का स्पष्ट विवरण व उनकी कम से कम तीन प्रतिस्पर्धात्मक दरों की सूचना उपलब्ध करानी होगी, जिसके आधार पर परीक्षणोपरान्त अनुमन्य धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जायेगी। प्रदान की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक खेल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए विभाग की ओर से "स्पोर्ट्स इवैन्ट कलेण्डर" बनाया जायेगा, जिसमें कार्यक्रमों की द्वैधता (Duplicacy) के स्थान पर विविधता का ध्यान रखा जायेगा, एवं प्रत्येक जनपद को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

(11) खेल संघों द्वारा अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा। यदि अनुदान की धनराशि का उपयोग नहीं हो पाता है, तो इसको अविलम्ब राज्य सरकार को लौटाया जायेगा, इसकी सुनिश्चितता किए जाने हेतु निदेशक खेल एवं अनुदान प्राप्तकर्ता के मध्य एक लिखित अनुबन्ध भी किया जायेगा, तथा उन खेल संघों को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जिनके द्वारा पूर्व में संतोषजनक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किया गया हो। शासन को जिन व्यक्तियों/संघों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता/धन का समुचित उपयोग न करने/उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं यथा वांछित अभिलेख निर्धारित समयावधि के अन्दर उपलब्ध न कराने के प्रकरण संज्ञान में आयेंगे उनको शासन स्तर से विभागीय कार्यक्रम हेतु डीफाल्टर घोषित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

(12) अनुदान तभी स्वीकृत किया जायेगा जबकि संबंधित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन का प्रमाण–पत्र दिया जाय एवं सूचना–मैनुवल तैयार कर लिया गया हो। समय–समय पर प्राप्त अनुदान राशि तथा उसके उपयोग के संबंध में पूर्ण विवरण मैनुवल में दिया जायेगा।

(13) खेल संघों को धनराशि 65:35 के अनुपात में जारी किए जाने का प्रयास किया जाय। 65 प्रतिशत कार्यक्रम से पूर्व तथा 35 प्रतिशत कार्यक्रम के उपरान्त।

भवदीय

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 408 /VI-1/2009/दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
8. मीडिया सेन्टर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव